IJAER/May-June 2018/Volume-7/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

ग्रामीण विकास योजनाओं के द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण एक अध्ययन

बृजमोहन सिंह
शोधार्थी
सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान

डॉक्टर रितेश मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर
सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान

सार

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद् द्वारा इस दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं, महिलाओं के संदर्भ में विश्व मानव अधिकार की व्यवस्थाएं इसी अंग के द्वारा कियान्वित की जा रही है। मानव अधिकार किसी देश या राज्य की आन्तरिक या घरेलु धिकारिता के अंतर्गत नहीं आते है, अपितु ये विश्व मानवता के पक्ष में उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन पर बल देते हैं। मानवाधिकार के 10 दिसम्बर 1948 के घोषणा–पत्र के परम् उद्देश्य है–दुनिया के किसी भी भूभाग में निवास करने वाले विश्व मानव समाज के प्रत्येक सदस्य को चा नारी, सम्मानपूर्वक जीने का हक है, ये वे मानवीय अधिकार हैं जो सभी मानव को इस आधार पर मिलने चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य हैं, देश या राज्य स्तर पर इनका उपबंधन प्रायः मूल या मौलिक अधिकार के रूप में है। लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परंपरागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके, महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है।। महिला सशक्तिकरण मौजूदा दौर का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा ही नही, मौजुदा समय की मांग भी है। मगर यह नारा कुछ वर्षों के प्रयासों का परिणाम नहीं है। दरअसल यह दो–तीन शताब्दियों पहले से ही किसी न किसी रूप में समाज के कुछ विशिष्ट तबकों में पैठ कर चुकी थी। आज से काफी समय पहले से ही नारी सशक्तिकरण की महत्ता समझते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रयास होते रहे हैं।जिससे महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुदृढ हुई है इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में गतिशीलता लाने वाले कारकों में महिलाओं को दिये गये कानूनी अधिकार शिक्षा की स्वतंत्रता, महिला कल्याण कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिकीकरण, संचार साधनों की भूमिका एवं वैश्वीकरण मुख्यतः रहे है, जिनके फलस्वरूप महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण विकास , महिलाओं सशक्तिकरण

प्रस्तावना:

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73 वाँ संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है । विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है । प्रस्तुत अध्ययन ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर आए अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है।

प्रस्तुत अध्ययन में विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक प्रस्थिति को उल्लेखित किया गया है । इसी क्रम में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है ।' सहा. प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर

भारतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायत राज व्यवस्था रही है । सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब समूहों में रहना सीखा पंचायती राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आए हैं । इस व्यवस्था को विभिन्न कालों में अलग–अलग नामों से पुकारा जाता रहा कभी वे गणराज्य कहलाए,कभी नगर शासन व्यवस्था और कभी किसी अन्य नाम से उनकी पहचान हुई, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ रहने मिलजुल कर काम करने और अपनी तात्कालिक समस्याओं को अपने आप सुलझाने की प्रवृत्ति निरंतर विकसित होती रही।सहकारिता और आत्म–निर्भरता या स्वावलंबन इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत में एक मजबूत पंचायतीराज शासन पद्धति का स्वप्न संजोया था जिसमें शासन कार्य की सबसे प्रथम ईकाई पंचायतें होगी । उनकी कल्पना पंचायतों की शासन व्यवस्था की धूरी होने के साथ ही आत्मनिर्भर पूर्णतया स्वायत्त और स्वावलंबी होने की थी । स्वतंत्रता के पश्चात् महात्मा गांधी की इस परिकल्पना को साकार करने हेतु समय–समय पर प्रयास किये गए । कभी ग्रामीण विकास के नाम पर और कभी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतंत्र का मूल आधार मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता रहा । अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग तरह के प्रयोग इसके लिए चले । कुछ असफल रहे तो कुछ सफल रहे और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बने लेकिन पूरे देश में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बुनियादी स्तर पर पंचायतीराज की स्थापना और जनता के हाथ में, सीधे अधिकार देने की शुरुआत संविधान के 73 वें संविधान अधिनियम के माध्यम से संभव हुई।

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया । पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ ।महिलाओं के प्रमुख प्रयास रहे है ।

उद्देश्य हैं :

1. **गरीब महिलाओं में अपनी आय की प्रबंध क्षमता को बढ़ावा देना ताकि वे रूपये की अधिकतम जरूरत अपने स्तर पर पूरी कर सकें।**
2. **ग्रामीण महिलाओं में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचत की भावना को प्रोत्साहन देना।**
3. **स्वयं सहायता के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना।**
4. **स्मूह के द्वारा एक शक्ति का विकास होता है जिससे बहुत सी बाधाओं को दूर कर सकती**

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था

वैदिक काल में ये पंचायते बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। महाभारत काल के समय में पंचायतें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयाँ थी । यहाँ तक कि राजा–महाराजा भी इन प्रथम इकाइयों, जो कि लोगों को स्थानीय प्रशासन और न्याय देती थी, के कार्य को बीच में बाधित करने से कतराते थे । श्री के. एम. पन्नीकर पंचायतों को प्राचीन भारत की बुनियाद मानते है । युद्ध के बारे में निर्णय लेने के साथ पंचायतें ग्रामों की सुरक्षा, कर लगाने का काम, स्थानीय झगड़ों का निपटारा, योजना का कार्यान्वयन और साधारण अधिकार की योजना की भी अधिकारिणी शक्ति रखती थी । स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 40 में पंचायतों के लिए मुख्य प्रावधान रखे गए। इसमें कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन कर सकता है और उन्हें वह अधिकार और शक्ति दे सकता है, जो उन्हें स्थानीय स्वायत्त सरकार की तरह कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सके।

देश की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को समाज और जीवन के हर क्षेत्र में समानता के अवसर प्राप्त करने के योग्य बनाती है । वे ही पंचायतों से उनकी संबंधता पर असर डालती है । महिलाओं के बराबरी के दरजे की पहली बार भारतीय संविधान में मान्यता मिली।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के लिए कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार रखने की स्वतंत्रता, विश्वास और पूजा–पाठ, समान अधिकार और अवसर आपको आपसी भाई–चारे से आगे बढ़ाना, सभी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर देश की एकता बनाये रखने जैसे सुझाव पारित हुए ।

भारतीय महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सभी अधिकार प्राप्त थे । भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में महिलाओं को अधिकार दिये गये । विभिन्न अनुच्छेद में महिलाओं को कानून की नजरों में सब समान है तथा भेदभाव को निषेध माना गया है । राज्य के किसी भी कार्यालय में सशक्तिकरण अथवा नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध हो । राज्य नीति के संबंध में संविधान में नीति निर्देशक तत्व बनाए गए है, जिनमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है । पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति भारतीय नारी सृष्टि के प्रारम्भ से ही अनंत गुणों का भण्डार रही है वह दया, करूणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है । किसी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से ही परिलक्षित होती है । महिलाएँ समाज की रचनात्मक शक्ति होती है । आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा ।

74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 73 वें संशोधन की तरह ही शहरी स्थानीय निकाय, नगर–निगम और घोषित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए प्रावधान बनाए गए । यह देश की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है । संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है । संविधान अधिनियम 81 वें संशोधन का निर्माण हुआ । जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया ।

महिला सशक्तिकरण

आज संसार महिलाओं की योग्यता व शक्ति को पहचान चुका है और इसी का प्रभाव है जो यूरोप, एशिया, अमेरीका, अफीका आदि सभी स्थानों पर महिला नेतृत्व की स्थापना हो रही है। संसार में आज तक कितने ही पुरूषों ने तानाशाह के रूप में शासन कर जनता से बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है और ऐसे शासकों द्वारा प्रगति के संबंध में भी कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। आज समय महिलाओं के साथ है और सम्पूर्ण विश्व के वासी अपने घावों पर मरहम लगाने हेतु महिला सशक्तिकरण एवं उसके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे है।

भारत में भी स्वाधीनता के पश्चात महिला कल्याण व सशक्तिकरण को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक पोषण मिला। महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधायी, कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। अपने धिकार तथा दायित्वों के प्रति जगरूक करने के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराए गए। साथ ही संविधान निर्माताओं ने परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास में इनकी महता को समझते हुए अनुच्छेदों के माध्यम से समानता और सुरक्षा प्रदान किया है।

भारतीय संविधान के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक समाजिक एवं सांस्कृतिक समानता और स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की गई है। संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेद –14, 15(3,4), 16, 19, 23, 39(डी), 42, 47, 243(डी–टी) महिला कल्याण व सबलीकरण की दिशा में सभी वर्गो तथा क्षेत्रों की महिलाओं को विकास के आयाम छूने के लिए प्रेरित करते है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस प्रकार हैं – प. अनुच्छेद 15 दृ इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार परकिसी के साथ भेद–भाव नही किया जा सकता, चाहे वह महिला हो या पुरूष। अनुच्छेद 16 – संविधान का यह अनुच्छेद लोक नियाजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते पुरूषों से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। पपप. अनुच्छेद 21 दृ विधायिका एवं कार्यकारणी दोनों के अतिकमण से संरक्षण प्रदान क पअ. अनुच्छेद 23 दृ मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है तथा शोषण के विरूद्ध अधिकार देता है।

परिवार परामर्ष केन्द्र दृ परिवार परामर्ष केंद्रो का उद्देष्य अत्याचार की षिकार और पारिवारिक असहयोजन की समस्या का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को रोकथाम और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना है।

अल्पावधि प्रवास गृह दृ 1969 में अल्पावधि प्रवास गृह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरम्भ की गई। इस योजना का उद्देष्य अनैतिक पतन के खतरे का सामना कर रही या पारिवारिक विवादों की षिकार महिलाओं और बालिकाओं को तीन साल के लिए अस्थायी आश्रम उपलब्ध कराना था।

मानवी संरक्षण अभियान दृ बालिका भ्रूण हत्या की जघन्य बुराई से कई भागों में स्त्री–पुरूष अनुपात गड़बड़ा गया है। इसका मुकाबला करने के लिए केंद्रिय समाज कल्यान बोर्ड के माध्यम से मानव संरक्षण अभियान नामक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

आवास योजना– यह योजना 1985 में आरंभ की गई। जिसमें इंदिरा आवास योजना इसका मुख्य अवयव था। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मुफत आवास की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके लक्ष्यों में एस सी, एस टी, और मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर प्रमुख थे। समग्र आवास योजना को 25 प्रखंडों में

आरंभ किया गया जिसके अंतर्गत घर की सुविधा के साथ सुरक्षित पेयजल, नाली व शौचालय प्रमुख रूप से सम्मिलित किये गये थे। हुडको के कार्य को शहरी क्षेत्रों से विस्तारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया गया था। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम– इस योजना की शुरुआत 1990 में हुई जिसमें मुख्यताया राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना सम्मिलित हैं। पेंशन में 75 रूपये मासिक, परिवार सहायता में 10000 रूपये परिवार के उपार्जनकर्ता की मृत्यू पर तथा मातृत्व लाभ में 500 रूपये महिने की सहायता प्रदान की जाती थी। ये योजनायें स्पष्ट करती हैं सरकारी तौर पर दी गई स्वयंसहायता समूहों को सहायता उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जहां तक स्वयं सहायता समूह के प्रयास की बात है तो यह इस बात पर निर्भर करती है कि गरीबों को संगठित करने तथा उन्हें स्वयं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित किया जाये। स्वयं सहायता समूह एक समान सोच, पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य वाले सदस्यों के छोटे समूहध संगठन हैं जो अपनी सामूहिक क्षमताओं से अपनी समस्याओं का निदान के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यह समूह सामाजिक–आर्थिक सकारात्मक परिवर्तन तथा सशक्तीकरण के मंच हैं, जिनके माध्यम से असंगठित गरीब वर्ग संगठित होकर अपने सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।

आर्थिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का उद्भव

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य के लिए लागू की गई शुरुआती आर्थिक नीतियां काफी हद तक असफल रहीं. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप–योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (DWCRA) ं 1982–83 में 50 ग्रामीण जिलों में शुरू किया गया था. इसके चलते महिलाएं अपनी झिझक और कमजोरियों को दूर कर पाईं और संपत्ति व सामान की खरीद–फरोख्त के अलावा, महंगे साहूकारों के बजाय बैंक से ऋण लेने में सक्षम हुईं. नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर मैक्रो कंज्यूमर रिसर्च द्वारा 2011 में जारी एक अध्ययन के अनुसार, बैंकों की 12.6 प्रतिशत की ब्याज दर के मुकाबले साहूकारों के ऋण पर ब्याज उच्चतम स्तर पर 44 प्रतिशत कर हो सकता है. ऐसे में महिलाओं के लिए इन ऊंची दरों पर ऋण लेना और कामकाज शुरु करना बेहद कठिन था.

आर्थिक सशक्तीकरण के इस मॉडल को केवल भारत के छोटे क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ही कुछ सफलताएँ मिलीं क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण क्रेडिट नेटवर्क को लेकर समझ विकसित नहीं हो पाई और इसलिए वो प्रभावी नहीं रहे. इन योजनाओं के बाद, स्व–सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) जैसी सूक्ष्म–ऋण योजनाएं शुरू की गईं, जो क्षेत्र के स्थानीय बैंकों के साथ भागीदारी में चलते थे. ये एसएचजी 'सहकर्मी–निगरानी' (peer monitoring) के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस मॉडल के तहत यह स्वीकार किया जाता है कि हो सकता है कि बैंक गांव में स्थित हो या न भी हो, इसलिए प्रत्येक लाभार्थी पूरे समूह के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह है. यह योजना सफल रही, क्योंकि इसने महिलाओं को वित्तीय ज्ञान दिया और उन्हें आर्थिक अनुशासन के साथ काम करने और जीविकोपार्जन करने के लिए प्रेरित किया. महिलाओं के ये समूह परस्पर सहयोग और भागीदारी से चलते थे जिससे ऋण चुकाने का स्तर बेहतर हुआ और भुगतान संबंधी चूक में उल्लेखनीय कमी आई. पहले की योजनाओं के विपरीत, इस मॉडल ने महिलाओं को अपनी गति और सहूलियत के साथ, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि अब ऋण लेने का एक भरोसेमंद स्रोत उनकी पहुंच के भीतर था. आर्थिक सशक्तीकरण के इस मॉडल को केवल भारत के छोटे क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ही कुछ सफलताएँ मिलीं क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण क्रेडिट नेटवर्क को लेकर समझ विकसित नहीं हो पाई और इसलिए वो प्रभावी नहीं रहे.

स्व–सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया और उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता पैदा की जिससे वो उन्नति के राह पर अग्रसर हुईं, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) यानी मनरेगा द्वारा पूरे हुए लक्ष्यों की तुलना में इन नीतियों की सफलता कम रही, क्योंकि मनरेगा के तहत मुख्य रूप से 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी. यह एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय मॉडल है, जो 2 फरवरी 2006 को पहले चरण में 200 जिलों में प्रमुखता के साथ शुरु किया गया और उसके बाद 2007–08 में इसे बढ़ाकर 130 जिलों तक पहुंचाया गया. इन सब योजनाओं के जरिए महिलाएं अब एक ऐसे स्तर पर पहुंचने में सक्षम हुई हैं, जहां पंचायत और स्थानीय प्रशासन के दूसरे केंद्रों में उनकी बात को सुना जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है.

मनरेगा के प्रावधान गैर–कुशलता वाली नौकरियों में काम करने वाली माताओं की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील हैंय कामकाज की जगहों पर बच्चों को संभालने के लिए क्रैच की सुविधा, काम और भुगतान के प्रति पूरी जवाबदेही, रोजमर्रा के कामकाज में पारदर्शिता और ठेकेदारों व बिचौलियों की भूमिका को खत्म किए जाने ने महिलाओं के लिए काम को आसान बनाया है और इन स्थितियों ने महिलाओं के पक्ष में काम किया है. इसने लैंगिक असमानताओं को भी कम किया है, और महिलाओं को अपने हक में सौदेबाजी की शक्ति दी है. हालांकि, ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के बीच अभी भी वेतन

का व्यापक अंतर मौजूद है. इससे शिक्षा और महिलाओं के रोजगार के बीच 'यू–आकार' का एक संबंध पैदा होता है, जिसके तहत अशिक्षित या कम शिक्षा प्राप्त महिला 'संकट से प्रेरित' होकर रोजगार तलाशती है, जबकि एक बेहतर शिक्षित महिला के पास बेहतर रोजगार चुनने और बेहतर वेतन पाने के व्यापक अवसर होते हैं. भुगतान से जुड़े रोजगार के अवसर ज्यादातर, सरकारी रोजगार यानी सरकार द्वारा उन लोगों के रोजगार पैदा किए जाने से जुड़े होते हैं, जिन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा हो, अंग्रेजी में इसे "मउचसवलमत वि जीम सेंज तमेवतज" के रुप में समझा जाता है. ऐसे मामलों में मुमकिन है कि भुगतान की एवज में किए गए काम भी महिलाओं को सशक्त न बना पाएं. मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को अपने काम को स्वयं चुनने का विकल्प मिलता है. मनरेगा की शुरुआत के पीछे मुख्य लक्ष्य यह है कि यह रोजगार के जरिए लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता का अधिकार देता है और उनके आत्म–सम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ाता है. कई मामलों में यह ग्रामीण महिलाओं के लिए उनकी योग्यता और क्षमता को पहचानने के एक तंत्र के रूप में भी काम कर सकता है. शिक्षा और महिलाओं के रोजगार के बीच 'यू–आकार' का एक संबंध पैदा होता है, जिसके तहत अशिक्षित या कम शिक्षा प्राप्त महिला 'संकट से प्रेरित' होकर रोजगार तलाशती है, जबकि एक बेहतर शिक्षित महिला के पास बेहतर रोजगार चुनने और बेहतर वेतन पाने के व्यापक अवसर होते हैं.

ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरणीय माध्यमों के जरिए सशक्त बनाना

पर्यावरण अनुसंधान से जुड़े कई संस्थान भी ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं. राजस्थान के तिलोनिया में बेयरफुट कॉलेज (Barefoot College) के पाठ्यक्रमों के माध्यम से, महिलाएं न केवल शिक्षार्थियों और प्रशिक्षुओं के रूप में काम करती हैं, बल्कि वे गाँवों में टिकाऊ ऊर्जा संयंत्रों के संरक्षण से जुड़ी कोशिशों का हिस्सा भी बन गई हैं. सामुदायिक आधार पर काम करते हुए कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को मिलाकर एक ऊर्जा और पर्यावरण समिति बनाई जाती है. यह समिति सबसे गरीब घरों की पहचान करती है, और ये पुरुष और महिलाएं 3 से 6 महीने के लिए 'बेयर फुट सौर इंजीनियरों' के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं. एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (TERI) ने इन क्षेत्रों में लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स कार्यक्रम की शुरुआत की और ग्रामीण क्षेत्रों की मुट्ठी भर महिलाओं के साथ काम शुरु कर उन्हें 'ऊर्जा उद्यमियों' में बदल दिया. इस परियोजना ने वैश्विक स्तर पर 5.65 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है और भारत के 24 राज्यों के अलावा 13 देशों को अपने अभियान में शामिल करते हुए, जून 2017 से अबतक दुनिया भर में 1,130,570 से ज्यादा घरों को सहयोग प्रदान किया है. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के सदस्य के रूप में भारत ने टिकाऊ उर्जा क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ाया है- ऐसे में भारत के लिए अब अगला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह इन ग्रामीण महिलाओं को टिकाऊ ऊर्जा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की कौशल विकास संबंधी परियोजनाओं में संलग्न करे, ताकि वो इस क्षेत्र में बेहतर हुनर वाले काम भी कर सकें-

डिजिटलीकरण के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण

तकनीकी उन्नति और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के संबंध में, यह माना जाता है कि नई तकनीकें महिला सशक्तिकरण में योगदान नहीं दे सकतीं. साथ ही बहुत मुमकिन है कि इससे लिंग ध्रुवीकरण और गहराए और अमीर–गरीब के बीच की दूरी या आर्थिक विभाजन और अधिक बढ़ जाए. ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यह है कि डिजिटल साक्षरता का उपयोग लिंग के अंतर को कम करने और मोबाइल प्रौद्योगिकी के स्वामित्व में लिंग संबंधी समानता पैदा करने के लिए किया जा सकता है या नहीं. नवंबर 2016 में भीषण सूखे के बाद, अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब (श्र–च।स) द्वारा नाइजर में किए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, 96 गांवों के कुछ चयनित घरों में बिना किसी शर्त पैसे का हस्तांतरण किया गया. एक समूह को नकद प्राप्त हुआ, दूसरे समूह को

ऑनलाइन धन हस्तांतरित किया गया और तीसरे समूह को नकद और ऑनलाइन दोनों रुप से धन हस्तांतरित किया गया. इस प्रयोग के परिणाम सामने आने पर पता चला कि जिन इलाकों में ऑनलाइन पैसे हस्तांतरित किए गए थे, वहां बच्चों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में 10 प्रतिशत सुधार हुआ साथ ही उन क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा उगाई जाने वाली फसलों की उपज में भी वृद्धि हुई. इससे पता चलता है कि नकदी के सरल डिजिटल हस्तांतरण भर से महिलाओं के लिए सही जगह पैसे खर्च करना और परिवार के भीतर इस संबंध में मोलभाव करना संभव हो पाया.

तकनीकी उन्नति और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के संबंध में, यह माना जाता है कि नई तकनीकें महिला सशक्तिकरण में योगदान नहीं दे सकतीं. साथ ही बहुत मुमकिन है कि इससे लिंग ध्रुवीकरण और गहराए और अमीर–गरीब के बीच की दूरी या आर्थिक विभाजन और अधिक बढ़ जाए.

इसी तरह की एक पहल वोडाफोन इंडिया ने एम–पैसा (ड–चमें) के जरिए की जो, 2013 में केन्या के एक मॉडल से प्रेरित था. यह योजना काम नहीं कर पाई क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे नकद हस्तांतरण प्रणाली के बजाय बैंकिंग सेवा के रूप में देखा, और क्योंकि आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया भी बेहद जटिल और समय लेने वाली थी. हालांकि, एम–पैसा को जिन इलाकों में शुरु किया गया वहां, 8.4 मिलियन से ज्यादा लोगों को वित्तीय समावेशन का लाभ मिला. वोडाफोन और आइडिया सेलुलर के विलय के बाद इस योजना की काफी निंदा हुई क्योंकि इसके बाद ये दोनों ही इस योजना से बाहर निकल गए. फिर भी, इस प्रयोग ने च्ंलज्उ, च्ीवदमच्म्, ळववहसमच्ंल जैसी नई कंपनियों और पैसा हस्तांतरण के पहले से भी अधिक सुगम और नए तरीकों के लिए रास्ता बनाया, जिसने महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा किए और उन्हें पैसे से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार दिया.

इस तरह की डिजिटल उन्नति को व्यापक रूप से शिक्षा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले डिजिटल कौशल कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि महिलाओं में वित्तीय मामलों की जानकारी बढ़े और वो अपने आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से समझने और निपटाने में सक्षम हों. यदि ऐसा हो पाता है तो इससे ग्रामीण इलाकों में पैठ कर चुके पितृसत्तात्मक मानदंडों और रीति–रिवाजों को भी चुनौती मिलेगी और महिलाएं व पुरुष रूढ़िबद्ध सोच से आगे बढ़ पाएंगे.

एक महिला जो पर्यावरण की दृष्टि से जागरुक है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, और डिजिटल रूप से मुखर है, अंततः देश के राजनीतिक फलक पर एक लोकतांत्रिक आवाज बन कर उभरेगी और इस क्षेत्र में बराबरी कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

एक महिला जो पर्यावरण की दृष्टि से जागरुक है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, और डिजिटल रूप से मुखर है, अंततः देश के राजनीतिक फलक पर एक लोकतांत्रिक आवाज बन कर उभरेगी और इस क्षेत्र में बराबरी कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. साल 2015 में इंटेलकैप (प्दजमससमबंच) नाम की एक वैश्विक विकास परामर्श कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान और उनके डिजिटलीकरण की शुरुआत की. उन्होंने इस मॉडल के प्रमुख लाभार्थियों की पहचान करने का लक्ष्य रखा, क्योंकि महिलाएं गैर–कृषि संबंधित गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, गांव के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने और सौर–ऊर्जा उद्यमियों के रूप लगातार काम कर रही थीं. इस तरह के मॉडल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को नई तकनीकों से रूबरू कराते हुए, रोजगार और सशक्तीकरण के नए अवसर पैदा कर सकते हैं, और इस दिशा में बहुत आगे जाने की संभावना रखते हैं.

निष्कर्ष :

"पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिताश शीर्षक के अंतर्गत यह कहना उचित होगा कि पंचायती राज भारत के लिए कोई नई बात नहीं महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान

करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है । इसके साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखा गया है ।

प्रस्तुत समीक्षा में देखने का यह प्रयास किया गया है कि तीव्रगति से परिवर्तित हो रही ग्रामीण राजनैतिक संरचना की वर्तमान स्थिति में पंचायतों का क्या स्थान है, इनकी असफलता के क्या कारण है तथा इनका संचालन कैसे सही ढंग से हो सकता है । इस ग्रामीण विकास प्रक्रिया में ब्लॉकों की क्या उपयोगिता रही है और ब्लॉकों की असफलता के संदर्भ में नेताओं के क्या दृष्टिकोण है।

प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की ग्रामीण सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है । परिवार के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है । अन्य योजनाओं की भांति रेशम उद्योग में भी महिलाओं का योगदान बहुत अधिक है परन्तु इस उद्योग के प्रबंधन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अभी तक बहुत कम कार्य किया गया है । सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर के अनुसार कीटों के कीटपालन में महिलाओं की सहभागिता 69 प्रतिशत है तथा रेशम उद्योग के विभिन्न क्रिया–कलापों में उनका उनका श्रमांश 53 प्रतिशत है । इससे यह स्पष्ट है कि रेशम उद्योग में महिलाओं की सहभागिता बहुत अधिक है ।

संदर्भ सूची :

1. कश्यप सुभाप, 2001, भारत का संविधान, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली पृ23 डोगरा,
2. भारत, (2004), वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्सश कुरुक्षेत्र वॉल्यूम 50 नं 5, पृ संख्या 40–42 त्रिपाठी, के. के. (2004), ष्सेल्फ हेल्प ग्रुप्सः ए कैटालिस्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंटश कुरुक्षेत्र, 52(8), जून पृ संख्या 40–43 भारत की जनगणना 2001 भारत की जनगणना 2001 विश्नोई,
3. हरि, (2002), श्स्वयं सहायता समूह – आत्मनिर्भर बनने का अनूठा उदाहरणश, कुरुक्षेत्र मार्च 2002 भारद्वाज, जी, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट एमंग द वीमेंस ऑफ इंडिया, इन एस सी दूबे एडिटेड,
4. वीमेन हेरिटेज ऑफ इंडियाः एथनिसिटी, आइडेंटिटी एण्ड इंटरऐक्शन, वॉल्यूम 1 विकास पब्लिकेशन हाउ दिल्ली पृ 141–160 8.
5. गोपालकृष्णन, बी.के., (1998), स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं को कायम रखना माइक्रो क्रेडिट, 45 समाज कल्याण मार्च, वाल्यूम 12, पृ. 19–20 9.
6. बख्शी, एस, एण्ड वर्मा, आर. भी, (1998), इम्पावरिंग वीमेन श्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्सः ए केस स्टडी, कॉन्फ्रेंस पेपरः केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिच्यूट, पीची, पृ 238–240
7. भारत की जनगणना 2001 ललिता, एन, और बी.एस.नागराजन, (2002), ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह, नई दिल्ली रू प्रमुख
8. प्रकाशक और वितरक, पृ. 22 12. कृष्ण, विजया, आर और दास, अमरनाथ, आर (2003), स्वयं सहायता समूह दृ आध प्रदेश जिला में एक अध्ययन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 32